

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

अधिसूचना

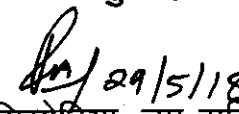
क्रमांक 178/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02/एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016, (जो कि अधिसूचना क्र. 13/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित है), में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

पैरा 2 एवं 4 में, अंक तथा शब्द "31 मई, 2018" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "30 सितम्बर, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये।

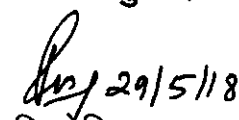
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


राजेश कुमार सिसोदिया, उप सचिव

नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

क्रमांक 178A/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 178/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


राजेश कुमार सिसोदिया, उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance Department
(Finance Commission Cell)
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, Date 29th May, 2018

NOTIFICATION

No. 178/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC.- In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 02/L 8-9(Part)/2016/Fin./FCC, dated 20th January, 2016 (as amended by Notification No. 13/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC, dated 29th January, 2018), namely :-

AMENDMENT

In the said notification, -

In para 2 and 4, for the figures and word "31st May, 2018", the figures and word "30th September, 2018" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


29/5/18
Rajesh Kumar Sisodiya, Deputy Secretary

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. श्री चन्देश्वर साहू, अध्यक्ष, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ ।
 6. श्री नरेश चंद्र गुप्ता, सदस्य, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ ।
 7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग/लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर
 8. समस्त निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 9. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 10. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
 11. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
 12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
 13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 14. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
 15. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 16. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
 18. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर, छत्तीसगढ़
 19. समस्त कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
 20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 21. संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर
 22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नया रायपुर
 24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सुरेश कुमार वर्मा)
अवर सचिव